

भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र Nuclear Fuel Complex  
प्रशासन- सीएचएसएस Administration - CHSS

सं. Ref: NFC/Admn/CHSS/2020/4012

सितंबर September 12, 2020

**परिपत्र CIRCULAR**

यह दिनांक 17.07.2020 के परिपत्र संख्या NFC/Admn./CHSS/2020/3012 से संदर्भित है जिसमें सीएचएसएस के लाभार्थियों को विशेषमामले के तौर पर दिनांक 18.07.2020 से 17.09.2020 तक सभी पुरानी बीमारियों हेतु अपने नजदीकी फार्मसी से दवाइयों (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, एवं होम्यो) के क्रय करने और इसकी प्रतिपूर्ति हेतु मूल बिलों को प्रस्तुत के करने लिए अनुमति दी गयी थी।

This is with reference to Circular No. NFC/Admn./CHSS/2020/3012 dated 17.07.2020 permitting the CHSS beneficiaries to purchase medicines (Allopathic, Ayurvedic & Homeo) for all chronic ailments at their nearest pharmacy, as a special case from 18.07.2020 to 17.09.2020 and submit original bills for reimbursement.

2. वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों जिसके अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर अब काफी सारी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से पुनः-खोलने (अनलॉक-4) की प्रक्रिया के दौरान प्रदत्त अनुमति को देखते हुए मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत, यह निर्णय लिया है कि सीएचएसएस के लाभार्थियों को अपने नजदीकी फार्मसी से दवाइयों को क्रय करने और प्रतिपूर्ति हेतु दावों को प्रस्तुत करने की सुविधा को दिनांक 17.09.2020 के बाद और न बढ़ाया जाए।

The matter has been reviewed keeping in view the current situation and the guidelines issued by Government as per which most of the activities are now being permitted during Phased Re-opening (Unlock 4) except in the Containment Zones. After review, it has been decided not to extend the facility of allowing the beneficiaries of CHSS to purchase medicines from the nearest pharmacy and submit the claim for reimbursement beyond 17.09.2020.

3. उपरोक्त को देखते हुए, सीएचएसएस के लाभार्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे उपर्युक्त को नोट करें और केवल एनएफसी के पैनलित अस्पतालों या कॉलोनी स्वास्थ्य केंद्र जैसेकि संजीवनी से दवाइयों को प्राप्त करें। यदि सीएचएसएस का कोई लाभार्थी दिनांक 18.09.2020 को या इसके बाद इन दो एजेंसियों के अलावा अन्यत्र से दवाइयों का क्रय करता है और प्रतिपूर्ति हेतु मूल बिलों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे दावों की प्रतिपूर्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सीएचएसएस के सभी लाभार्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे उपर्युक्त को सूचनार्थ और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु नोट करें।

In view of the above, CHSS beneficiaries are advised to note the above and shall obtain medicines only from any of the NFC empanelled Hospitals or from Colony Health Centre viz. Sanjivini. If any CHSS beneficiary purchases medicines from other than these two agencies on or after 18.09.2020 and submit bills for reimbursement, such claims will not be entertained for reimbursement. All CHSS beneficiaries are requested to note the above for information and further necessary action.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी, एनएफसी की अनुमति से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority in NFC.

पी. कृष्ण कांत  
(पी. कृष्ण कांत P. Krishna Kanth)

सहायक कार्मिक अधिकारी Asst. Personnel Officer

प्रतिलिपि Copy to:

सभी कर्मचारी All the employees

सभी संयंत्र अनुभाग All Plants /Sections सादर सूचनार्थ For kind information

सभी सूचनापट्ट All Notice Boards

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य कार्यपालक, नाईस CE, NFC - सादर सूचनार्थ for kind information.
2. सभी उप मुख्य कार्यपालक/परि.निदे.जेडसी/.पलय/.महा.प्रबं/क्षे.नि.,क्रभनिहैए/उपमहा.प्रबं/.प्रधान/वरि.प्रबं/.प्रबं/.उप प्रबं/.कार्या.प्रभारी/ DCEs/PD, ZC/P/ GMs/RD, HRPSU/DGMs/Heads/SMs/Mgrs/DMs/OICs
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) ओएचसी, कोटा व जेडसी/(मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)सीएचसी व सीएचएसएस / (मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, नाईसCMS (OHC, Kota & ZC)/CMS (CHC & CHSS/CMO/Medical Officers, NFC/ PD(NFC-K)/GM(ZC)
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, नाईस/CAO, NFC
5. संयुक्त नियंत्रक वित्त व लेखा/JCFA, NFC
6. उप महानिरीक्षक, पऊवि मुख्यालय/समादेश, कें.औ.सु.ब / .DIG, DAE Headquarters
7. Sr. Commandant, CISF, NFC
8. General Secretary, NFCIWU
9. अध्यक्ष, नाईस पर्य.कर्म.संघ/नाईस वैज्ञा.सहा.संघ/ नाईस अधिकारी संघ / President, NFC SSA/ NUF COSA / NUF COA

सूचनार्थ प्रति/Copy also for information to:

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पखनि, हैदराबाद / CAO, AMD, Hyderabad
2. प्रभारी वैज्ञानिक, टीआईएफआर, हैदराबाद / Scientist-in-Charge, TIFR, Hyderabad
3. प्रभारी वैज्ञानिक, सीसीसीएम, हैदराबाद / Scientist-in-Charge, CCCM, Hyderabad
4. प्रमुख, आरसी, जोनाकी, ब्रिट, हैदराबाद / Head, RC, Jonaki, BRIT, Hyderabad
5. प्राचार्य, आईसीएस-I/II, एएयूएच, हैदराबाद / Principal, AECS-I/II, AUH, Hyderabad
6. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल, ईसीआईएल कैम्पस, हैदराबाद
7. Officer-in-Charge, NPCIL, ECIL Campus, Hyderabad
8. आईआईडब्ल्यू, पऊवि, हैदराबाद / IIW, DAE, Hyderabad
9. प्रबन्धक-क्रय, आरपीयू)एम (शहर कार्यालय, नाईस परिसर, हैदराबाद
10. Manager-Purchase, RPU(M) City Office, NFC Premises, Hyderabad
11. समन्वयक, सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन /Coordinator, Retired Employees' Association